ऊर्जा समूह

अध्याय I: कोयला मंत्रालय

कोल इंडिया लिमिटेड

1.1 आठ वर्षों से अधिक के लिए निष्क्रिय रहें हेलीकाप्टर और विमानों के अवधारण के कारण हैंगर किराए के प्रति परिहार्य भुगतान

कोल इंडिया लिमिटेड ने एक हेलीकॉप्टर (1991) और एक विमान (1993) खरीदे, जो क्रमशः मार्च 2009 और फरवरी 2012 से निष्क्रिय रहे। हेलीकॉप्टर और विमान की उड्डयन-योग्यता क्रमशः जुलाई 2010 और सितंबर 2013 तक वैध थी और इसका नवीनीकरण नहीं किया गया था। कार्यात्मक निदेशकों द्वारा हेलीकॉप्टर और विमान के सर्वेक्षण और निपटान के निर्णय (अक्टूबर 2012/ जनवरी 2013) के बावजूद कोल इंडिया लिमिटेड समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2014 से मार्च 2021 तक ₹9.02 करोड़ की हैंगर किराए का परिहार्य भुगतान हुआ।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने तात्कालिक आवश्यकता/आपात स्थिति के दौरान उपयोग के लिए क्रमशः ₹2.87 करोड़ और ₹13 करोड़ की लागत पर मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से एक हेलीकॉप्टर (1991) और एक विमान (1993) की खरीद की। सीआईएल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, कोलकाता में मासिक किराया आधार पर उन्हें तैनात करने के लिए हैंगर स्थान किराए पर लिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हेलीकॉप्टर और विमान क्रमशः मार्च 2009 और फरवरी 2012 तक ही सक्रिय रहे थे। इसके अलावा, हेलीकाप्टर और विमान की उड्डयन-योग्यता क्रमशः जुलाई 2010 और सितंबर 2013 में समाप्त हो गई, जिसका नवीनीकरण उसके बाद नहीं किया गया था। हेलीकॉप्टर और विमान दोनों ही एयरपोर्ट हैंगर में निष्क्रिय रहे, जिसके लिए सीआईएल ने अप्रैल 2014 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान ₹7.88 लाख और ₹13.39 लाख के बीच मासिक किराए का भुगतान किया।

कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों ने देखा (अक्टूबर 2012) कि हेलीकॉप्टर का निपटान करने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता थी क्योंकि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) मानदंडों के अनुसार इसे उड़ने योग्य बनाने के प्रयासों में, जो व्यय करना होगा, वह इसके परिचालन पर विचार करते हुए किफायती नहीं था। इसके बाद, कार्यात्मक निदेशकों ने राय दी (जनवरी 2013) कि विमान की आयु 20 वर्ष से अधिक होने के कारण इसकी मरम्मत और कलपुर्जों की खपत की आवृत्ति अधिक होने की उम्मीद थी। इसलिए कार्यात्मक निदेशकों ने सिफारिश की कि विमान का सर्वेक्षण किया जाए और अंतत उसका निपटान किया जाए। सीआईएल की लेखापरीक्षा समिति ने भी सिफारिश की (अप्रैल 2016) कि विमान और हेलीकॉप्टर को जुलाई 2016 तक निपटान करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यात्मक निदेशकों और लेखापरीक्षा समिति के विचारों/ मतों के बावजूद, दोनों विमानों को उड़ने/परिचालन योग्य बनाने के लिए व्यवहार्यता का पता लगाने और विमानपत्तन के हैंगर से इन विमानों को स्थानांतरित करने के लिए वैकल्पिक खुली जगह की पहचान करने के लिए बार-बार कई समितियों का गठन किया गया था, जो अंततः फलीभूत नहीं हुआ।

यह भी देखा गया कि इन विमानों के आरक्षित मूल्य और निपटान की विधि निश्चित करने के लिए फिर से एक समिति का गठन किया गया (जनवरी 2019)। समिति ने नोट किया कि हैंगर किराए के लिए पहले ही बड़ी राशि का भुगतान किया जा चुका था और सिफारिश की (अगस्त 2019) कि बिना किसी अन्य विकल्प का पता लगाए, इन विमानों का शीघ्रातिशीघ्र निपटान किया जाए।

विमानों के निपटान के लिए लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर, सीआईएल ने मार्च 2020 में वैल्यूअर नियुक्त किया, जिसने दोनों विमानों के लिए कुल आरक्षित मूल्य ₹74 लाख[1] निर्धारित किया। वैल्यूअर ने यह भी पाया कि 2012 के बाद से लंबी अवधि के लिए इन विमानों का उपयोग किए बिना समय बीत जाने के कारण इन दोनों विमानों के उपयोगी कार्यकाल का अवमूल्यन हुआ।

इस प्रकार, 8 वर्षों से 11 वर्षों तक अपने परिचालन के बिना विमानों को रोके रखने के परिणामस्वरूप अप्रैल 2014 से मार्च 2021 तक की अवधि के लिए हैंगर किराए के प्रति ₹9.02 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ, जो इन विमानों के अवशिष्ट मूल्य का क्षरण होने के अलावा था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2021) कि इन विमानों के निपटान के लिए विभिन्न कदम उठाए गए थे लेकिन वे फलित नहीं हुए। उनके पास हैंगर किराया देने के अलावा कोई

---

[1] ***हेलीकॉप्टर के लिए मूल्य: ₹9 लाख और विमान के लिए ₹65 लाख***

विकल्प नहीं था। इसमें यह भी बताया गया है कि उन्होंने एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से स्क्रैप के रूप में दोनों विमानों के निपटान के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है और डीजीसीए द्वारा इन विमानों को विपंजीकृत कराने की प्रक्रिया भी साथ साथ शुरू की गई है। मंत्रालय (मई 2021) ने प्रबंधन के मत की पुष्टि करते हुए बताया कि इन विमानों के निपटान में जानबूझकर विलम्ब नहीं हुआ। इसमें यह भी बताया गया है कि दोनों विमानों का मार्च 2021 में की गई नीलामी में अंतिम रूप से निपटान[2] कर दिया गया है और सफल बोलीदाता को अप्रैल 2021 में बिक्री मंजूरी आदेश जारी किया गया है।

मंत्रालय/प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के साथ देखा जाना है कि प्रबंधन की ओर से इन विमानों के निपटान में विलंब इस तथ्य से स्पष्ट है कि सीआईएल ने अक्टूबर 2012 में दिए गए कार्यात्मक निदेशकों के सुझावों पर समय पर कार्रवाई नहीं की थी। इसके अलावा, इसने मार्च 2020 में (कार्यात्मक निदेशकों द्वारा दिए गए सुझावों के 88 महीने बीत जाने के बाद) एक वैल्यूअर को लगाया। कार्यात्मक निदेशकों और लेखापरीक्षा समिति के सुझावों के बावजूद, सीआईएल ने आठ वर्षों से अधिक के लिए उन विमानों के लिए हैंगर स्थान पर कब्जा करने के लिए किराया प्रदत्त किया जो निष्क्रिय थे और दोनों विमानों को उडाने/परिचालन योग्य बनाने के लिए व्यवहार्यता का पता लगाने में स्वयं को लगाए रखा, जो अंततः फलीभूत नहीं हुआ।

इस प्रकार, निष्क्रिय हेलीकाप्टर और विमान के निपटान में विलंब के कारण, सीआईएल ने ₹9.02 करोड़ की राशि के हैंगर किराए का परिहार्य भुगतान किया।

सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

1.2 सीआईएसएफ के तैनाती प्रभारों के विलंबित भुगतान के कारण दण्डात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान

सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल), वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस (एसईसीएल) लिमिटेड समय पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तैनाती प्रभारों का भुगतान करने में विफल रहे और परिणामस्वरूप मार्च 2005 से दिसंबर 2019 के दौरान ₹6.19 करोड़ के दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया।

सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल), वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एसईसीएल) तैनाती प्रभारों के भुगतान पर विभिन्न कोयला खनन परियोजनाओं की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय

[2] *₹2.19 करोड़ की कीमत पर निपटान किया गया*

औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती करते हैं जिसमें वेतन, भत्ते और अन्य खर्च शामिल होते हैं। सीआईएसएफ की तैनाती गृह मंत्रालय (एमएचए), सीआईएसएफ इंडक्शन एंड पॉलिसी मैनुअल, 2000 के दिशानिर्देशों और समय-समय पर कंपनियों और सीआईएसएफ के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) द्वारा शासित होती है।

एमएचए ने समय पर भुगतान और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में सीआईएसएफ को शामिल करने की लागत की वसूली की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए दिशानिर्देश (मई 2005) जारी किए। दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई पीएसयू मासिक देयों के भुगतान में एक महीने से अधिक का चूक करता है तो प्राइम लेंडिंग रेट, जैसाकि समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, के अतिरिक्त दो प्रतिशत की दर पर दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने सीआईएसएफ के मासिक देयों का समय पर भुगतान करने में सीसीएल[3], डब्ल्यूसीएल[4] और एसईसीएल[5] द्वारा बार-बार चूक देखी जो नियत तिथि के बाद 1 दिन से 366 दिनों के बीच थी। परिणामस्वरूप, सीआईएसएफ ने मासिक देयों के विलंबित भुगतान के लिए सीसीएल (₹4.26 करोड़), डब्ल्यूसीएल (₹1.10 करोड़) और एसईसीएल (₹0.83 करोड़) से दंडात्मक ब्याज की मांग की।

सीसीएल और एसईसीएल द्वारा शास्तिक ब्याज माफ करने के लिए एमएचए/ सीआईएसएफ (मई 2014 और जनवरी 2020) को अभ्यावेदन दिए गए थे लेकिन इसे अस्वीकार (अगस्त 2014 और अगस्त 2020) कर दिया गया। सीसीएल, एसईसीएल और डब्ल्यूसीएल ने अंततः जून 2019, दिसंबर 2020 और अप्रैल 2021 में सीआईएसएफ को क्रमशः ₹4.26 करोड़, ₹0.83 करोड़ और ₹1.10 करोड़ के दंडात्मक ब्याज का भुगतान किया।

इस प्रकार, सीसीएल, एसईसीएल और डब्ल्यूसीएल ने सीआईएसएफ के तैनाती प्रभारों का समय पर भुगतान न करने के कारण मार्च 2005 से दिसंबर 2019 के दौरान ₹6.19 करोड़ के दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान किया।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, सीसीएल ने बताया(दिसंबर 2020) कि उसने सीआईएसएफ को केंद्रीकृत भुगतान करना शुरू किया था (मार्च 2019) और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही थी। तथ्यों को स्वीकार करते हुए एसईसीएल ने बताया (दिसंबर 2020) कि प्रक्रियात्मक विलंब, जीएसटी के कार्यान्वयन और सीआईएसएफ से बाद में स्पष्टीकरण के कारण प्रारंभिक वर्षों में प्रमुख विलंब

---

[3] *मार्च 2005 सेनवंबर 2018*

[4] *जून 2010 सेदिसंबर 2019*

[5] *अक्टूबर 2010 से जुलाई 2018*

हुआ। हालांकि, वर्तमान में विलंब से भुगतान का कोई मामला नहीं था। तथ्यों को स्वीकार करते हुए डब्ल्यूसीएल ने अप्रैल 2021 में दंडात्मक ब्याज के प्रति भुगतान किया।

मंत्रालय ने प्रबंधन के मतों का समर्थन किया (फरवरी 2021)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि एसईसीएल नियमित रूप से सीआईएसएफ को समय पर भुगतान करने में चूक कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप दंडात्मक ब्याज का भुगतान किया गया। विलंबित भुगतान के लिए जीएसटी कार्यान्वयन का एसईसीएल का तर्क भी इस तथ्य के कारण मान्य नहीं है कि जीएसटी केवल 2017 में अस्तित्व में आया था जबकि एसईसीएल 2010 से चूक रहा है। दंडात्मक ब्याज के भुगतान में माफी/छूट की मांग करने के लिए उपरोक्त कारणों को भी सीआईएसएफ को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन सीआईएसएफ द्वारा यह कहते हुए उन्हें स्वीकार नहीं किया गया था कि एसईसीएल ने 2010-11 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कई बार भुगतान में विलंब किया और दंडात्मक ब्याज को माफ करने के लिए प्रक्रियात्मक विलंब पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस प्रकार, एमएचए के दिशानिर्देशों का पालन किए बिना सीआईएसएफ बकाया के देयों के विलम्बित भुगतान विलंब के कारण, सीसीएल, एसईसीएल और डब्ल्यूसीएल ने ₹6.19 करोड़ (₹4.26 करोड़, ₹0.83 करोड़ और ₹1.10 करोड़) के दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान किया था।

नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड

1.3 सीवीसी के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन से निजी ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में समयबद्ध वसूली के बिना संविदाकारों को लाभबंदी अग्रिम के प्रदान करने के परिणामस्वरूप नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड को ₹5.47 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों (10 अप्रैल 2007) में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था कि संविदाकार को ब्याज मुक्त लाभबंदी अग्रिम के भुगतान को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और यदि प्रबंधन विशिष्ट मामलों में इसकी आवश्यकता महसूस करता है, तो वसूली समयबद्ध होनी चाहिए और कार्य की प्रगति के साथ सम्बद्ध नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना था कि यदि संविदाकार कार्य को क्रियान्वित नहीं कर रहा था अथवा धीमी गति से उसका निष्पादन कर रहा था, तब भी अग्रिम की वसूली शुरू हो सकती थी और ऐसे अग्रिम के दुरुपयोग की गुंजाइश को कम किया जा सकता था।

नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड ने घाटमपुर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) में 1,980 मेगावाट (3x660 मेगावाट) की क्षमता के साथ कोयला आधारित सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 2016-17 के दौरान ₹7,378.10 करोड़ पर तीन प्रमुख पैकेज[6] दिए। इन संविदा में अन्य बातों के साथ-साथ कुल प्रदान की गई लागत के 10 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज मुक्त लाभबंदी अग्रिम जारी करने का प्रावधान किया गया था।

नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड ने 09 सितंबर 2016 और 09 मार्च 2018 के बीच संविदाकारों को ₹767.90 करोड़ का ब्याज मुक्त लाभबंदी अग्रिम जारी किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ब्याज मुक्त लाभबंदी अग्रिम की वसूली के लिए कोई विशिष्ट समय अनुसूची को निर्धारित नहीं किया गया था। इसके बजाय, वसूली सीवीसी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन में प्रगति भुगतानों (काम की प्रगति से जुड़ी हुई) से जुड़ी हुई थी।

संविदा में ऐसी कमियों के कारण अग्रिम भुगतान के एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद अर्थात् नवम्बर 2017 में भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए संविदाकारों के सम्बन्धित प्रथम रनिंग बिलों से अग्रिम की पहली वसूली की गई थी। इस प्रकार, अनुसूचित वसूली समय सीमा के अभाव में, नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के ब्याज को इस अवधि के दौरान संरक्षित नहीं किया जा सका और संविदाकार द्वारा कार्य की अधिक प्रगति के बिना अग्रिम राशि को बनाए रखने की अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप संविदाकारों को ₹5.47 करोड़[7] के अनुचित लाभ की वृद्धि हुई। इसके अलावा, चूंकि वसूली कार्य की प्रगति से जुड़ी हुई थी, डाउन पेमेंट अभी तक पूरी तरह से वसूल नहीं किया गया है (दिसंबर 2020)।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2021) कि:

- यदि संविदाकार संविदा की संविदात्मक सुपुर्दगी अवधि का पालन करने में विफल रहता है, तो ब्याज उदग्रहित किया जाएगा और संविदा शर्तों के अनुसार राशि की कटौती समायोजन के लिए किसी भी/स्रोत के अभाव में निर्धारित तरीके से अग्रिम की वसूली संभव नहीं हो सकती। इसलिए, यह कार्य की प्रगति से जुड़ा हुआ था और संबंधित प्रथम रनिंग बिलों से अग्रिम की वसूली शुरू की गयी।

---

6 मेसर्स एलएंडटी-एमएचपीएस बॉयलर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अलस्टॉम इंडिया फोर्ज पावर प्राइवेट लिमिटेड (जीई) और मेसर्स बीजीआरएन जीसिस्टमस लिमिटेड के साथ क्रमशः स्टीम जेनरेटर पैकेज (जीए 1), टरबाईनजेनरेटरपैकेज (जीए 2) औरबैलेंसऑफप्लांटपैकेज (जीए 3)

7 अग्रिम की अर्धवार्षिक किस्त की वसूली (यदि अनुसूची सीवीसी द्वारा जोर दिए जाने पर अग्रिम रूप से निर्धारित की गई है) ब्याज की x दर (9.35 प्रतिशत) जैसा कि नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड से बैंकों द्वारा प्रभारित किया गया x (अग्रिम के जारी करने और वसूली के शुरू होने के बीच समय अंतराल -प्रथम रनिंग बिल को जमा करने के लिए 6 महीने)

- भावी निविदाओं में शामिल करने के लिए लाभबंदी अग्रिम की समयबद्ध वसूली की समीक्षा की जाएगी जिसके लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर का समर्थन किया (मार्च 2021)।

हालांकि प्रबंधन/मंत्रालय लाभबंदी अग्रिम की समयबद्ध वसूली की समीक्षा करने पर सहमत हुआ, लेकिन इस तथ्य के प्रति उत्तर पर विचार किया जाना है कि सीवीसी के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया कि लाभबंदी अग्रिम के प्रति बैंक गारंटी प्रस्तावित वसूली किस्तों में उतने ही संख्या में ली जानी चाहिए और प्रत्येक किस्त के बराबर होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी समय यदि किए गए कार्य के कारण संविदाकार का धन संगठन के पास उपलब्ध नहीं होता है, तो बैंक गारंटी को नकदीकरण करके ऐसे अग्रिम की वसूली की जाती है।

इस प्रकार, सीवीसी के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में निर्धारित वसूली समयसीमा के बिना संविदाकारों को लाभबंदी अग्रिम प्रदान करने के परिणामस्वरूप नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड को ₹5.47 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड

1.4 क्षतिपूर्ति प्रभारों का परिहार्य भुगतान

एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड ने कोयले के परिवहन के लिए लॉजिस्टिक संविदा को अंतिम रूप दिए बिना एक कोयला आपूर्ति करार किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹12.58 करोड़ के क्षतिपूर्ति प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड (एनटीपीएल) ने तूतीकोरिन, तमिलनाडु में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की प्रत्येक 500 मेगावाट की क्षमता की दो इकाइयां चालू कीं (जून 2015 और अगस्त 2015)। संयंत्र को स्वदेशी और आयातित कोयले दोनों का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। स्वदेशी कोयले के लिए एनटीपीएल ने प्रति वर्ष 3.0 मिलियन टन (एमटी) कोयले की आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के साथ दीर्घावधि करार (25 वर्ष) किया था। अपनी शेष कोयला आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनटीपीएल ने अलग करारों के माध्यम से आवश्यकता के आधार पर कोयले का आयात किया।

भारत सरकार के निर्देशानुसार कोयले के आयात को कम करने के लिए एनटीपीएल ने अतिरिक्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति के लिए सीआईएल से संपर्क किया। चूंकि एमसीएल अतिरिक्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं था, सीआईएल ने ईस्टर्न

कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) को 0.3 एमटी उच्च श्रेणी के कोयले की आपूर्ति, जिसे एमसीएल द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले 3.0 एमटी कोयले के प्रति समायोजित किया जाना था और साईड करार के अनुसार 1.0 एमटी कोयले की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति करने का निर्देश दिया (सितंबर 2016)।

तदनुसार, ईसीएल ने एनटीपीएल के साथ 0.3 एमटी की वार्षिक संविदागत मात्रा के लिए एक कोयला आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर किए (14 सितंबर 2016) जिसमें कोयले की सहमत मात्रा को नहीं उठाने के लिए शास्ति खंड शामिल था। एनटीपीएल के निदेशक मंडल ने शास्ति के उदग्रहण से बचने के लिए कोयले की प्रतिबद्ध मात्रा के उठाने को सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ करार के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया (अक्टूबर 2016)। हालांकि एनटीपीएल के पास सितंबर 2016 में करार करने के समय ईसीएल से कोयले के परिवहन के लिए लॉजिस्टिक संविदा नहीं थी। एनटीपीएल ने केवल जून 2017 में लॉजिस्टिक संविदा को दिया और जुलाई 2017 से कोयले को उठाना शुरू किया।

करार के अनुसार, कोयले को तत्काल उठाया जाना था अर्थात करार करने की तिथि से, हालांकि, लॉजिस्टिक सहयोग के अभाव में एनटीपीएल कोयले की सहमत मात्रा को नहीं उठा सका। इसलिए, शास्ति खंड को लागू करके, ईसीएल ने सितंबर 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए ₹12.58 करोड़ का क्षतिपूर्ति प्रभार लगाया (दिसंबर 2017)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनटीपीएल ने कोयला आपूर्ति करार किया, जबकि यह पता था कि लॉजिस्टिक सहयोग उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, एनटीपीएल ने करार पर हस्ताक्षर करने के समय अपने हितों की रक्षा के लिए संविदात्मक प्रावधान में संशोधन करने के लिए ईसीएल को सहमत नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹12.58 करोड़ के क्षतिपूर्ति प्रभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि 14 सितंबर 2016 को सीआईएल मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में एनटीपीएल को कोयले का आयात रोकने के लिए सूचित किया गया था और आयात विकल्प के रूप में ईसीएल उच्च श्रेणी कोयले की आपूर्ति करेगा। उसी दिन सीआईएल ने ईसीएल को एनटीपीएल के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया था, तदनुसार, ईसीएल ने 14 सितंबर 2016 को एनटीपीएल के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर किए। ये सभी बातें एक ही दिन हुईं, जबकि एनटीपीएल के पास ईसीएल खदानों से कोयले को उठाने के लिए कोई लॉजिस्टिक सहयोग नहीं था और एफएसए के अनुसार कोयले को उठाने की समय-सीमा तुरंत अर्थात 14 सितंबर 2016 को शुरू हो गई थी। तत्कालीन मामले में एफएसए पर हस्ताक्षर करने की सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, क्योंकि एफएसए को आयात विकल्प के रूप में हस्ताक्षरित किया गया था। राशि वापस प्राप्त करने के लिए सीआईएल के साथ मामला उठाया गया है।

मंत्रालय ने प्रबंधन के मत का समर्थन करते हुए बताया (फरवरी 2021) कि शास्ति खंड सभी एफएसए धारकों के लिए लागू है और ईसीएल से कोयला आयात का विकल्प था और विदेशी मुद्रा की बचत हो रही थी।

प्रबंधन का उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि एनटीपीएल ने करार के खंडों, इसके प्रभाव और लॉजिस्टिक संविदा को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक समय का विश्लेषण किए बिना शीघ्रता में करार किया था। इसके अलावा, सीआईएल से किसी उत्तर के अभाव में एनटीपीएल ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में व्यय के रूप में प्रदत्त क्षतिपूर्ति की पूर्ण राशि को प्रभारित किया। मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के प्रति विचार किया जाए कि अन्य एफएसए में लॉजिस्टिक की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। शास्ति खंड केवल तभी लागू होगा जब लॉजिस्टिक सहयोग की उपलब्धता के बावजूद कोयले को कम उठाया गया हो। तत्कालीन मामले में, हालांकि एनटीपीएल को इस तथ्य का भली-भांति पता था कि लॉजिस्टिक सहयोग उपलब्ध नहीं था, लेकिन उसने न तो लॉजिस्टिक सहयोग की व्यवस्था करने के लिए अधिक समय के लिए जोर दिया और न ही संविदात्मक प्रावधान में संशोधन के लिए सहमत किया। इसके अलावा, मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ईसीएल से 0.3 एमटी कोयले की आपूर्ति आयात विकल्प नहीं थी बल्कि इसे एमसीएल द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले 3.0 एमटी कोयले के प्रति समायोजित किया गया था। साइड करार के अनुसार, ईसीएल द्वारा आपूर्ति की जाने वाली कोयले की अतिरिक्त मात्रा अन्य 1.0 एमटी आयात विकल्प था।

इस प्रकार, एनटीपीएल करार करते समय अपने हितों की रक्षा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹12.58 करोड़ के क्षतिपूर्ति प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।